



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

RE
4/11/88

सं. 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1988/फाल्गुन 27, 1909
No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 1988/PHALGUNA 27, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1988

सा. *का. नि. 350 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्याम अधिनियम, 1963
(1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पक्ष) की दिनांक 31 दिसंबर, 1987 की काडला पक्ष से संबंधित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई तालिकाएँ.—

(क) “इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

क्र. सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को सं.
1	2	3	4
5.	दि गांधीधाम चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्री	कामर्स एण्ड शिपर्स	1

(ख) “कालम (4) में कुल” शब्द के सामने अंक “4” के स्थान पर अंक “5” लिखा जाए।

2 केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में एतद्द्वारा 20 मार्च, 1988 को समाप्त अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके भीतर उपरोक्त निकाय द्वारा न्यामियों के चुनाव कर लिए जाएं।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1988 में प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी टी-18011-5/87-पी टी (ii)]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1988

G.S.R.350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing)

No. G.S.R. dated 31st December 1987, relating to the Port of Kandla, namely :—
in the Table below the said notification,—

(a) after the entry “Indian Oil Corporation Limited,” the following entry shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of the body	Interest	No. of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	The Gandhidham chamber of Commerce and Industry	Shippers	1

(b) against the word “Total”, in column (4) for the figure “4”, the figure “5” shall be substituted.

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 20th March, 1988 as the period within which the election of Trustees shall be held by the aforesaid body.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1988.

[F. No. PT-18011-5/87-PT(ii)]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

